सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 17/2016

1. हाजरा खां
2. अब्दुल करीम

पिस0 भोपत

3. अब्दुल रहीम
4. आसीन
5. सूबेखां

पिस0 फतह नसीब

जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तह0 नगर (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. बलवंतसिंह पुत्र सुगनसिंह
2. हाकमसिंह पुत्र रामसिंह
3. मोटूसिंह पुत्र दंगलसिंह

जाति सिख निवासी ग्राम जलालपुर तह0 नगर जिला भरतपुर

4. तहसीलदार तहसील नगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

श्री प्रतापसिंह, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 07/12/2017

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि वि0आ0 हाल ख0नं0 345/0.51, 349/0.48, 350/0.14, 354/0.24, 355/0.11, 492/0.51, 493/0.03 बाके ग्राम जलालपुर तह0 नगर एवं साविक आ0ख0नं0 92, 93, 95, 96, 133, 134, 139, 140 से बनाये गये हैं । उक्त साविक आराजी का वयनामा दिनांक 25.07.78 को प्रति0 संख्या 3 के पिता दंगलसिंह, प्रति0 संख्या 2 के पिता रामसिंह व प्रति0 संख्या 2 हाकमसिंह, फगनासिंह पुत्र छिनकेसिंह ने अपने–अपने हिस्से का बेचान वादीगण के पिता भोपत व फतहनसीब को किया था और उसी समय मौके पर कब्जा संभला दिया जबकि उसी समय से वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने गलती से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुगनसिंह पुत्र टहलसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है, जिसे वादीगण दुरूस्त कराकर वयनामा के अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2

हिस्सा 1/2 पर तथा वादीगण संख्या 3 से 5 हिस्सा 1/2 पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है । अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वि0आ0 पर वादीगण संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्सा पर एवं वादी संख्या 3, 4, 5 को 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वर्तमान इन्द्राज को कलमजन किया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर दिनांक 22.08.16 एवं 21.11.16 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

वादीगण ने अपने दावा के साथ नकल जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम जलालपुर, नकल खसरा पत्रक, नकल जमाबंदी सं0 2025–28 एवं नकल वयनामा दिनांक 28.06.78 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं ।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2071–74 के खाता संख्या 330 पर आ0ख0नं0 345/0.51, 349/0.48, 350/0.14, 354/0.24 355/0.11, 492/0.51, 493/0.03 की बावत् ''सुगनसिंह वल्द टहलसिंह 1 हिस्सा, हाकिमसिंह वल्द रामसिंह 1 हिस्सा कौमसिख, जयराम प्रसाद, निवासचंद पि0 नवल किशोर वहि0बरा0 7 हिस्सा कौम ब्राहम्ण, हाजर खॉ, अब्दुल करीम पिस0 भोपत, फतह नसीब वल्द महराव वहिस्सा बरा0 कौम मेव खातेदार हि0 चांगलसिंह वल्द जोहरसिंह 1½ रामसिंह वल्द जुमडासिंह 1 हिस्सा कौम सिख सा0देह खातेदार '' दर्ज होना पाया जाता है । नकल खसरा पत्रक भूप्रबंध विभाग के अनुसार साविक ख0नं0 95, 96 से हाल ख0नं0 345/0.51, साविक ख0नं0 92, 93 से हाल ख0नं0 349/0.48 साविक ख0नं0 133 से हाल ख0नं0 350/0.14 साविक ख0नं0 139 से हाल ख0नं0 354/0.24, साविक ख0नं0 134 से हाल ख0नं0 355/0.11, 493/0.03 तथा साविक ख0नं0 140 से हाल ख0नं0 492/0.51 बनाया जाना साबित होता है । नकल वयनामा दिनांक 28.06.78 के अवलोकन से फग्गनसिंह वल्द छिनकूसिंह , रामसिंह वल्द जुमडासिंह, चंगलसिंह वल्द जवाहरसिंह व हाकिम सिंह वल्द रामसिंह द्वारा साविक ख0नं0 92, 93, 95, 96, 123, 124, 139, 140 किता 8 रकबा 13 विस्वा 12 बीघा बाके जलालपुर में से फग्गन सिंह ने 1 हिस्सा, रामसिंह ने 1 हिस्सा, चंगलसिंह 1½ हिस्सा एवं हाकम सिंह ने 1 हिस्सा कुल 4½ हिस्सा का बेचान वादीगण के पूर्वज भोपत व फतेह नसीब पिस0 महराव के पक्ष में किया

जाना साबित होता है । वादीगण द्वारा भू0प्रबंध विभाग के बाद का ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो सके कि सुगनसिंह वल्द टहलसिंह का नाम किसके स्थान पर किस आदेश से दर्ज हुआ है । वादीगण के मुताबिक वयनामा हाकिमसिंह वल्द रामसिंह 1 हिस्सा, चंगलसिंह वल्द जोहर सिंह 1½ हिस्सा एवं रामसिंह वल्द जुमडा सिंह 1 हिस्सा के स्थान पर मुताबिक वयनामा दिनांक 28.06.78 अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं । इस प्रकार वादीगण अपने दावा को आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहे हैं जिससे दावा आंशिक डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है । आ0ख0नं0 345/0.51, 349/0.48, 350/0.14, 354/0.24, 355/0.11, 492/0.51, 493/0.03 बाके ग्राम जलालपुर से हाकिम सिंह, चांगलसिंह एवं रामसिंह वल्द जुमडा सिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा इनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा ½ पर एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगा0 5 को हिस्सा ½ पर बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 28/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर